BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 02 नवम्बर, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूटपाट कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.टिंकू पुत्र नौरंगी 2.पुष्पेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र समयपाल निवासीगण ग्राम करीमपुर थाना बहादुरगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में वादी के भाई के साथ लूटपाट कर जान से मारने की नियत से फायर कर चाकू मारकर घायल कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 07.11.2014 को थाना नरसेना पर मुअसं- 186/2014 धारा 304ए/394/307/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.12.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **दिनांक 01.11.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.टिंकू 2.पुष्पेन्द्र उर्फ छोटू को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोर्रिर है0का0 सत्यनारायण का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।